संख्याः 8/2022/1499 /सत्रह-म-2021-17-1002(099)/5/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिंनाक 25 फरवरी, 2022

विषय वित्तीय वर्ष 2021-22 में 190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता,03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत अवशेष धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 189/ ले0शा0/ बजट/ 2021-22 दिनांक 16.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक-2405 मछली पालन 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता,03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा- निर्देशों / गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/ डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(6) अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(8) अनुमोदित धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(9) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(10) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, का उत्तरदायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(11) वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/ नियत्रंक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जान मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(13) विभागाध्यक्ष/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(14) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(15) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- उक्त शर्तो के साथ ही साथ रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त / प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा ।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/अशासकीय संख्या-ई-1-3417/दस-2021-22, दिनांक 22.02.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

संख्या- 8/2022 /1499(1)/ सत्रह-म-2021 तददिनांक-

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com